तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
24/10/2019	

प्रतिवादीगण

6 हनुमान

7 सीताराम

8 राजेन्द्र

नि. शर्मा

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि विवादित खसरा नम्बर 89 रकबा 13 बिस्वा एंव खसरा नम्बर 326 करबा 1 बीघा 16 बिस्वा कुल किता–2 कुल रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा वाके कस्बा टोंक शर्की, पटवार क्षेत्र कस्बा टोंक तहसील टोंक में पक्षकारान अपने–अपने नाम दर्ज हिस्सानुसार आपस में बांट लिया है। पक्षकारों को राजीनामा पढकर सुनाया स्वीकार किये जाने पर तस्दीक किया गया। वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2070–73 कस्बाटोंक शर्की खाता सख्या–929 के अनुसार वादग्रस्त भूमि पक्षकारान के पूर्वज शोरामा पुत्र भूवाना कोम कीर सा. बन्धाजानबान टोंक के नाम खातेदारी में अंकित है। चूँकि पक्षकारान के मध्य अब कोई विवाद नहीं है ओर ये आपसी सहमति से वादग्रस्त भूमि अपने हक व हिस्से के अनुसार नाम लगवाना चाहते है।

अतः वाद वादीगण राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाकर प्रकरण तहसीलदार टोंक को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकित खातेदार शोरामा पुत्र भुवाना कोम कीर के विधिक वारिसानों के नाम वादपत्र/राजीनामा के अनुसार जांच करते हुए तत्काल प्रभाव से नामांतरण खोलने की प्रकिया पूर्ण कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम हो।

(सी0 एल0 शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,टोंक

Scanned by CamScanner